न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 72/2022
लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड, मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 2 डी, एफ एल टावर, गोपीनाथ मार्ग, एम आई रोड, जयपुर 302001

—— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. जगराम जाट पुत्र श्री हनुमान, राम जाट, पता ग्राम शिशिया, ग्राम पंचायत बीबासर, जिला झुंझुनूं राजस्थान पिन कोड 333001
2. राजपाल पूनिया पुत्र श्री जगराम जाट, पता ग्राम शिशिया, ग्राम पंचायत बीबासर, जिला झुंझुनूं राजस्थान पिन कोड 333001
3. सुनिता देवी पत्नी श्री राजपाल पूनिया, पता ग्राम शिशिया, ग्राम पंचायत बीबासर, जिला झुंझुनूं राजस्थान पिन कोड 333001
4. इमरता देवी पत्नी श्री जगराम जाट, पता ग्राम शिशिया, ग्राम पंचायत बीबासर, जिला झुंझुनूं राजस्थान पिन कोड 333001
5. विजय जाट पुत्र श्री जगराम जाट, पता ग्राम शिशिया, ग्राम पंचायत बीबासर, जिला झुंझुनूं राजस्थान पिन कोड 333001

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

——

उपस्थितः—

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा (लक्ष्मी इण्डिया फि0प्रा0लि0) — प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।
2. एडवोकेट श्री अरविन्द कुमार गौतम— अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 की ओर से आज उपस्थित नही।

आदेश

दिनांक 06.07.2022

प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने वित्तीय संस्था से दिनांक 31.07.2019 को जरिये लोन खाता संख्या पी0एल0 7746 राशि 10,00,000/— रूपये अक्षरे दस लाख रूपये मात्र का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 व [illegible]के मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी सम्पति को प्रार्थी के पास [illegible] और उस सम्पति पर निर्मित भवन एवं ढाचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवी[illegible] है।

[illegible]

श्री जगराम जाट पुत्र श्री हनुमान राम [illegible] पट्टा नं0 40, [illegible]शियां, ग्राम पंचायत बीबासर, जिला झुंझुनूं राजस्थान जिसका क्षैत्रफल [illegible] वर्ग गज मे स्थित है। [illegible] भूमि, भवन, एवं ढाचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है

चर्तुसीमा —

पूर्व में — बनवारी की कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.07 13:26:42 IST
Reason: SelfAttested

पश्चिम में — आम रास्ता
उत्तर में — विजय सिंह का मकान
दक्षिण में — बलवीर का मकान

प्रार्थी कम्पनी अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार भारतीय रिजर्व बैक अधिनियम, 1934 की धारा 45—झ के खंड (च) में यथा निर्धारित एक सौ करोड रूपए से अधिक की आस्ति वाली गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनी है जिसको केन्द्रीय सरकार (भारत सरकार) के वित मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.02.2020 को जारी अधिसूचना का0आ 856 (अ) के द्वारा पचास लाख रूपए और उससे अधिक तथा दिनांक 12.02.2021 को जारी अधिसूचना का0आ 652 (अ) के द्वारा बीस लाख रूपए और उससे अधिक के सभी प्रतिभूत ऋणो के संबंध में प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रयोजनो के लिए वितीय संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भूगतान नही कर सके और भूगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 20.04.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि लोन खाता संख्या पी0एल0 7746 कुल राशि 20,04,895/—रूपये (अक्षरे बीस लाख चार हजार आठ सौ पिचानवे रूपये) दिनांक 23.11.2021 तक शेष व दिनांक 23.11.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 29.11.2021 को रजि0 नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी पुनः देय राशि का भुगतान प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को नही दिया। अप्रार्थीगण ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को नही किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड उक्त चरण संख्या 2 में वर्णित सिक्योरीटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित सम्पति जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की संख्या 2 में दिया गया है का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

वकील अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5 ने दि[illegible] 18[illegible]2022 को जबाब पेश किया। वकील अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5 आज बहस के दौरान उपस्थित नही[illegible] वकील अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5 को बार—बार आवाज लगाई गई। बावजूद इस[illegible] लगायत 5 आज उपस्थित नही। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.07 13:26:42 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी

अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई अप्रार्थी सं0 1 जगराम जाट पुत्र हनुमान राम जाट के मालिकाना हक की सम्पत्ति आबादी प्लॉट पट्टा नं0 40, ग्राम शिशियां, ग्राम पंचायत बीबासर, जिला झुंझुनूं राजस्थान जिसका क्षैत्रफल 250 वर्ग गज है का पजेशन प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 06.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.07 13:26:42 IST
Reason: SelfAttested